ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-3 No. 1 March 2020

मानव अधिकार संरक्षणः एक अध्ययन

डॉ. जितेंद्र कुमार चौधरी, सहायक प्रोफेसर, समाजशास्त्र

सारांशः–मानवाधिकार सम्प्रति युग का सर्वाधिक ज्वलंत विषय है। यह एक व्यापक संकल्पना है, जो किसी एकांकी राज्य का अनन्य विषय नहीं है बल्कि वैश्विक परिवेश में मानवाधिकार का महत्व उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। मानवीय शोषण, उत्पीड़न और अत्याचार के विरूद्ध उपजा यह आन्दोलन मानवाधिकार के रूप में विशालकाय स्वरूप धारण कर चुका है। मानवाधिकार सामान्यतया, वे अधिकार हैं जो मानव होने के नाते, प्रत्येक मानव को बिना किसी भेदभाव के जन्म के साथ ही प्राप्त होते है। इनके बिना कोई व्यक्ति अपना बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक व आर्थिक विकास नहीं कर सकता है। यह मानव की गरिमा व स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। मानव के लिए मानवाधिकारों का अत्याधिक महत्व है। अतः इसे मूलभूत अधिकार व जन्म–अधिकार भी कहा जाता है।1

मुख्य शब्दः– मैग्नाकार्टा, बिल आॅफ राइट्स, राष्ट्र संघ, मानवाधिकार घोषणा पत्र।

प्रस्तावनाः–

मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राकृतिक रूप से समानता के आधार पर प्राप्त है, उन्हें मानवाधिकार कहा गया है, जिन्हें प्राप्त करने और अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु निरंतर मानव जाति संघर्ष करती रही है। वस्तुतः इन अधिकारों का सृजन एवं संरक्षा मानव के नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है। व्यक्ति का नैतिक मूल्य ही किसी समाज का नैतिक आधार बनता है और आगे चलकर वही मौलिक अधिकारों के रूप में रूपान्तरित होकर मानव अधिकार बन जाता है।2

मानव अधिकारों के अनुसार किसी व्यक्ति समूह या संगठन को यह अधिकार नहीं कि वह किसी मानव को मानवता के व्यवहारों से वंचित कर सके। इस बुनियादी हक के हकदार प्रत्येक मानव है। मानवता के स्तर से वंचित हो जाने पर नरसंहार, दासता एवं भेदभाव की स्थिति मेंे व्यक्ति या मानव साधन मात्र रह जाता है, और उसके गरिमा को ठेस पहँुचती है। इन्हीं तथ्यों ने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को मानव अधिकारों के संरक्षण की प्रेरणा दी, तदनुसार मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा 10 दिसम्बर 1948 को की गई जिसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं। किन्तु प्रमुख आधारभूत सिद्धांत यह है– समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं सांस्कृतिक का अधिकार संवैधानिक सुरक्षा का अधिकार3 आदि ये मानव मात्र के जन्मजात अधिकार है, जिन्हें मानव अधिकार हंै, जिन्हें मानव अधिकार के रूप में घोषित कर सम्पूर्ण विश्व के राष्ट्र और जन समुदाय को पालन करने को कहा गया जो अब मानवाधिकार के रूप में प्रतिस्थापित है।

ऐसे बनी मानवाधिकारों की राहः–

मैग्ना कार्टाः– 13वीं सदी में ब्रिटेन के राजा और सामंतों के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। इसमें कुछ धाराएँ ऐसी भी शामिल की गई, जो आम लोगों के लिए लागू होती थीं। वैसे इसका मकसद ब्रिटेन के सांमतों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा करना था।

बिल आॅफ राइट्सः– सन् 1689 में ब्रिटेन के राजा को क्रांति के जरिए हटा दिया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद क्रांतिकारियों ने बिल आॅफ राइट्स (अधिकार घोषणा–पत्र) जारी किया, जिसमंे सभी नागरिकों के न्यूनतम अधिकारों का वर्णन किया गया।

Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-3 No. 1 March 2020

अमेरिकी क्रांति– लगभग एक सदी बाद 1776 में अमेरिकी क्रांतिकारियों ने लंबे संघर्ष के बाद ब्रिटेन से आजादी पाई। इस मौके पर जारी अपने घोषणा–पत्र में उन्होंने 'अहरणीय मानवाधिकारों' को शामिल किया। इसमें जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की तलाश के अधिकार शामिल थे।

फ्रांस की क्रांतिः– कुछ ही साल बाद 1789 में फ्रंास में क्रांति हुई। इस क्रांति का नारा था– 'स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व'। इस क्रांति की पृष्ठभूमि में कानून के राज की अवधारणा सामने आई। फ्रांस की क्रांति के दौरान भी वहां के राजा लुई 16वें को सत्ता से हटा कर मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद क्रांतिकारियों ने मुनष्य के अधिकारों का घोषणा–पत्र तैयार किया। इसमें एलान किया गया कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार बराबर हैं। इस घोषणा–पत्र में कहा गया कि स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और दमन के विरोध के अधिकार मूलभूत अधिकार है।

दास प्रथा की समाप्तिः– फ्रांस की क्रांति तक इन विचारों के प्रचलित हो जाने के बावजूद अगले करीब 46 वर्षों तक मानवाधिकार राष्ट्रों के भीतर ही चिंता का विषय बने रहे। यानी इनकी रक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास अभी सामने नहीं आए। ऐसे पहले अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास की मिसाल दास प्रथा की समाप्ति के रूप में देखने को मिलती है। दास व्यापार प्रथा की समाप्ति के उपाय ब्रिटेन, डेनमार्क और फ्रांस आदि के शुरू किए। 1833 में ब्रिटिश संसद ने एक प्रस्ताव पास कर अपने शासन वाले सभी क्षेत्रों में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। ऐसे ही प्रयास दूसरे देशों ने भी किए।

राष्ट्र संघः– इसके बाद मानवाधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा के महत्वपूर्ण प्रयास इस सदी में पहले विश्व की समाप्ति के बाद गठित राष्ट्र संघ (लीग आॅफ नेशन्स) की तरफ से किए गए। इस राष्ट्र संघ ने इस दिशा में कई खास काम किए। स्त्रियों का व्यापार रोकने, विवाह की उम्र बढ़ाने, विभिन्न देशों में बाल कल्याण के लिए कदम उठाने और शरणार्थियों के पुनर्वास जैसे कदम इस अंतर्राष्ट्रीय मंच की तरफ से उठाए गए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने राष्ट्र संघ की तरफ से मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया। मजदूरों के काम घंटों को सीमित करने, महिलाओं और बच्चों को काम की मानवीय स्थितियाँ मुहैया कराने और मजदूरों के बारे में उदार नीतियों को आगे बढ़ाने की दिशा में संगठन ने खास भूमिका निभाई।

मानवाधिकार घोषणा पत्रः– दूसरे विश्व युद्ध को अमेरिका व उसके साथी देशों ने लोकतंत्र बनाम फासीवाद की लड़ाई का नाम दिया। जनवरी 1941 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ऐलान किया कि 'दुनिया में हर जगह' चार स्वतंत्राओं, भाषण की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, अभाव से स्वतंत्रता और भय से स्वतंत्रता का होना शांति की आवश्यक शर्त है। उसी साल बाद में रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अटलांटिक घोषणा–पत्र जारी किया, जब युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ बना तो इसकी घोषणा की प्रस्तावना में कहा गया– 'हम बुनियादी मानवाधिकारों, व्यक्तियों की गरिमा व मूल्यों, बड़े और छोटे सभी राष्ट्रों के पुरूषों व स्त्रियों के समान अधिकारों की पुनर्पुष्टि के लिए कृतसंकल्प है।

हम संयुक्त राष्ट्र में शामिल देशों के लोग इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिल कर प्रयास करने का संकल्प लेते है।

इस घोषणा–पत्र की भावना के मुताबिक 1946 में श्रीमति एलीनर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानवाधिकार आयोग बना। 1 सिंतबर 1948 में आयोग ने मानवाधिकार घोषणापत्र का प्रारूप संयुक्त राष्ट्र महासभा को सौंपा। महासभा ने उसी वर्ष 10 दिसम्बर को मानवाधिकारों के विश्व घोषणापत्र को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मानवाधिकारों का संहिताबद्ध दस्तावेज अस्तित्व में आ गया। इसके बाद विभिन्न संधियों के जरिए अलग–अलग तरह के मानवाधिकारों की व्याख्या की गई।

संयुक्त राष्ट्र द्वरा मानव अधिकारों की अभिवृद्धि एवं संरक्षणः–

Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-3 No. 1 March 2020

मानव अधिकारों एवं मूलभूत स्वतंत्रताओं के सम्मान की अभिवृद्धि एवं प्रोत्साहन संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों में से एक है। मानव-अधिकारों की अभिवृद्धि राष्ट्र का अर्थ मानव अधिकारों, शिक्षा एवं प्रसारण के अन्तर्राष्ट्रीय मानव को तय करना हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अधीन मानव अधिकारोुं की अभिवृद्धि का प्रधान उत्तरदायित्व महासभा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद एवं उसके सहायक मानव अधिकार आयोग पर हैं। महासभा ने संघियों को अंगीकार करके मानक तय किया है, और उन मानकों का समाजीकरण कर रही है। इन अन्तराष्ट्रीय दस्तावेजों में निष्कर्षित मानव अधिकार मूल्यों के सारे विश्व में प्रचार-प्रसार करने के लिए सम्मेलनों एवं सेमीनारों का आयोजन किया जाना भी मानव अधिकारों की अभिवृद्धि में शामिल है।

संयुक्त राष्ट्र ने विगत वर्षों में कई तरीके से मानव अधिकारों की अभिवृद्धि एवं संरक्षण करने में सक्षम रहा है, जो निम्नवत् हैः-

- मानव अधिकार के प्रति जागरूकता
- मानव अधिकार विधि का संहिताकरण
- मानव अधिकारों का अनुश्रवण करना
- व्यक्तिगत परिषादों के लिए प्रक्रिया
- मानव अधिकारों उल्लंघन पर सूचना का संकलन
- मनव अधिकार स्थितियों की परीक्षा
- मानव अधिकार क्रियाकलापों का समन्वय
- परामर्श संबंधी सेवायें प्रदान करना।

निष्कर्ष एवं सुझावः-

उपर्युक्त बिंदु से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों को संरक्षण एवं अभिवृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य सफलतापूर्वक करता रहा है और इसने शिक्षा एवं जानकारी के माध्यम से मानव अधिकार की अभिवृद्धि की है। फिर भी, सम्पूर्ण विश्व में मानव अधिकारों का व्यापक उल्लंघन हो रहा है। व्यक्तियों के प्राण, स्वतंत्रता एवं दैहिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के अधिकार के साथ-साथ अन्य मौलिक अधिकारों को दमनकारी शक्तियों द्वारा धमकी दी जा रही है। पति-पत्नी एवं बच्चों से संबंधित छोटे-मोटे अपराधों के लिए प्रतीड़न, डर एवं अमानवीय दण्ड दिये जाने से समाज विच्छिन्न हो रहा है, तथा जातीय, धार्मिक एवं अन्य प्रकार के संघर्ष उत्पन्न हो गये है।

इन चुनौतियों के समक्ष संयुक्त राष्ट्र को और अधिक सक्रिया होना पड़ेगा। इसे मानव अधिकार के व्यापक उल्लंघन के मामले में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। इसे मानव अधिकार की अभिवृद्धि एवं उनके संरक्षण की प्रतिबद्धता थे मजबूत करने के लिए सदस्य राज्यों के साथ कार्य करना पड़ेगा।

संदर्भ-ग्रंथ

1. श्रीमति चंद्रशेखर ममता, मानवाधिकार और महिलाएँ, मध्यप्रदेश हिन्दी गं्रथ अकादमी, 2011, पृ. 1
2. मेकल मीमांसा, (अंतरानुशासनात्मक अर्धवार्षिक शोध पत्रिका) वर्ष 2 अंक-1 जनवरी 2010
3. राय विश्वनाथ, आधुनिक राजनीति के मूल तत्व, स्टूडेण्ट फ्रेण्डस, इलाहाबाद, पृ. 22

Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-3 No. 1 March 2020

4. डाॅ. रत्तू कृष्ण कुमार, भारतीय दलित और मानवाधिकार, बुक एनक्लेब जयपुर, सन् 2002, पृ. सं. 1,2

5. अग्रवाल, एच.ओ., मानव अधिकार, सेन्ट्रल लाॅ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, सन् 2012, पृ. 15-18

6. अवस्थी सुधा, महिलाओं के प्रति अत्याचार एवं मानवधिकार, अशोक ला हाउस, नई दिल्ली, 2003

7.

Copyright © 2020 Authors